

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2011—भाद्र 24, शक 1933

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र. एफ-9-1-2007-पचास-1.—मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा-3 की उपधारा (2) (क) सहपठित धारा-4 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन करते हुए श्रीमती उपमा राय, भोपाल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

2. अध्यक्ष का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, उपसचिव.